

भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 2191
01 अगस्त, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

एनएसक्यू औषधियाँ उत्पादित करने वाली दवा कंपनियों के विरुद्ध दंडात्मक उपाय

2191. श्री डी. एम. कथीर आनंद:

क्या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा उन दवा कंपनियों के विरुद्ध चेतावनी स्वरूप कोई कठोर दंडात्मक उपाय प्रस्तावित किया जा रहा है जिनके उत्पाद गुणवत्ता मानकों पर खरे नहीं उत्तरते और उन्हें घटिया घोषित किया जाता है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को 'मानक गुणवत्ता के अनुरूप नहीं' (एनएसक्यू) औषधियाँ उत्पादित करने वाली दवा कंपनियों की तेजी से बढ़ती संख्या की जानकारी है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है; और

(ग) क्या केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) ने सरकारी प्रयोगशालाओं द्वारा 'मानक गुणवत्ता के अनुरूप नहीं' (एनएसक्यू) औषधियाँ उत्पादित करते पाए जाने वाली कंपनियों के उत्पाद लाइसेंस तत्काल निलंबित करने की घोषणा की है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ग): औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, कोई भी व्यक्ति ऐसी किसी भी औषधि, जो मानक गुणवत्ता की न हो, मिलावटी हो या नकली हो, का विनिर्माण, विक्रय या वितरण नहीं करेगा। इस प्रावधान का कोई भी उल्लंघन उक्त अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध माना जाएगा और यह अधिनियम उक्त के लिए अभियोजन और शास्ति निर्धारित करता है।

समय-समय पर मानक गुणवत्ता के अनुरूप न होने वाली (एनएसक्यू) औषधियों के छिटपुट मामलों की रिपोर्ट की जाती है। गुणवत्ता अपुष्ट नमूनों को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराने के लिए, मासिक औषधि अलर्ट के भाग के रूप में, औषधि चेतावनी शीर्षक (www.cdsco.gov.in) के अंतर्गत, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) की वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है।

सीडीएससीओ के अंतर्गत औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं द्वारा एनएसक्यू घोषित किए गए औषधि नमूनों के मामले में, संबंधित निर्माता कंपनियों को बाजार में मानक गुणवत्ता से कम गुणवत्ता वाली दवाओं को तत्काल वापस मंगाने और आगे वितरण रोकने के लिए कहा जाता है। इसके अलावा, जाँच के परिणामों के आधार पर, संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारियों द्वारा औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत उत्पादन रोकने के आदेश, परीक्षण रोकने के आदेश, लाइसेंस निलंबन/रद्दीकरण, चेतावनी पत्र और कारण बताओ नोटिस जैसी कार्रवाई की जाती है।
